न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 139/2012

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1.बींजाराम पुत्र शिवराम उर्फ श्रीराम के कायम मुकाम 1. हेमाराम पुत्र बींजाराम 2. चेनाराम पुत्र बींजाराम 3. कमला देवी पुत्री बींजाराम 4. पानी देवी पुत्री बींजाराम 5. परमाई पुत्री बींजाराम 6. तुलसी देवी पुत्री बींजाराम 7. छोटी देवी पुत्री बींजाराम 8. गटूड़ी देवी पत्नी बींजाराम जातियान–माली,निवासीगण–बेरा छापरिया आ.कालू, तहसील–जैतारण, जिला–पाली(राज.)		1. अमरा पुत्र खीया 2. धन्ना पुत्र खीया 3. मल्ला पुत्र खीया 4. भीकाराम पुत्र खीया 5. प्रकाश पुत्र भीकाराम, जातियान–माली, निवासीगण–बेरा मोतीवाला कावलियां कलां, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) 6. अब्दुल हमीद पुत्र कालुखां जाति–सिपाही, निवासी–बड़ा बास जैतारण। 7. रतनदान पुत्र मदनदान जाति–चारण, निवासी–कावलियां खुर्द, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) 8. बाबुलाल पुत्र नामालुम निवासी–मालियों की ढाणी खेजड़ला, तहसील–बिलाड़ा, जिला–जोधपुर(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधि.,1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:.01/08/2012

उपस्थितः. 1. श्री, चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री चुतराराम भाटी, श्री श्यामलाल तंवर एवं श्री शाकिर हुसैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 28/05/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा– कावलियां खुर्द में वाके कृषि भूमि खसरा नम्बर 525 रकबा 4–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि का वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है। सरहद मौजा कावलियां खुर्द में वाके आराजी पर सेट्लमेंट से पूर्व से वादी के स्वर्गीय पिता श्रीराम जिसे शिवराम या श्री राम दोनों नामों से संबोधित किया जाता था कि खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 525 रकबा 4–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल वाके सरहद मौजा कावलियां खुर्द पर सेट्लमेंट से पूर्व यानि राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व दिनांक 15/10/1955 के पूर्व से बतौर खातेदार काश्तकार के लगातार पिछले 70 वर्षो से वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है व श्रीराम उर्फ शिवराम की मृत्यु संवत् 2014 में होने के पश्चात् उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादी श्रीराम उर्फ शिवराम के पुत्र की हैसियत से वादी काबिज है व काश्त करता आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि को दावे में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि के जागीर अधिग्रहण के समय भूमि के जागीरदार सावलदान छोटुदान पिसरान शिवकरण जी जाति चारण निवासी कावलियां कला थे व सेट्लमेंट विभाग द्वारा वादी व उसके पिता स्व.श्रीराम उर्फ शिवराम पुत्र मियालजी के नाम पर्चा लगान जारी नहीं कर गलती से जागीरदार के नाम पर्चा लगान जारी कर दिया गया। व संवत् 2010,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

2011, 2012 में लगातार वादी के पिता श्रीराम उर्फ शिवराम व वादी का कब्जा काश्त होने के आधार पर म्यूटेशन संख्या 19 मौजा कावलियां खुर्द का पटवारी हल्का द्वारा वादी के पिता के नाम का धारा 19 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम के तहत् म्यूटेशन भरा गया, व दिनांक 16/06/1962 को वादी के नाम सेटलमेंट के पूर्व से लगातार कब्जा काश्त के आधार पर वादी के पिता की वल्दीयत खीवा दर्ज कर दी गई जो वल्दीयत का इन्द्राज रोंग एन्ट्री है जिसको जरिये दुरूस्ती किया जाकर श्रीराम वल्द मिया दर्ज करवाने का वादी अधिकारी है इसलिए दावा घोषणा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त जमीन की गिरदावरी संवत् 2010 में काश्त श्रीराम वल्द मिया जाति माली का इन्द्राज स्पष्ट रूप से दर्ज है इसी प्रकार संवत् 2011 की गिरदावरी में शिवराम वल्द मिया जाति माली साकिन आ.कालु काश्तकार दर्ज है। व संवत् 2012 में श्रीराम वल्द मिया जाति माली साकिन आ.कालु दर्ज है। यानि राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के वक्त यानि दिनांक 15/10/1955 विक्रम संवत् 2012 में वादग्रस्त भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार होने से धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादी का पिता जिसे श्रीराम उर्फ शिवराम दोनों नामों से संबोधित किया जाता था व दोनों नामों की गिरदावरी संवत् 2010, 2011, 2012 में श्रीराम उर्फ शिवराम वल्द मिया जाति माली साकिन आ.कालु बतौर काबिज खातेदार काश्तकार होने से वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार था व संवत् 2014 में श्रीराम उर्फ शिवराम के फौत होने के पश्चात् संवत् 2016, संवत् 2017 में वादी के सगे चाचा गंभीर का काश्त दर्ज है। संवत् 2018 में वादी के चाचा गंभीर व स्वयं वादी का वादग्रस्त जमीन में काश्त दर्ज है। गिरदावरी संवत् 2010 से 2020 की प्रमाणित प्रति दावे के साथ पेश है जिसे दावे का एक भाग माना जावे। गिरदावरी संवत् 2010 में स्पष्ट रूप से वादी के पिता श्रीराम उर्फ शिवराम वल्द मिया के नाम से कब्जा काश्त दर्ज होने व संवत् 2012 के पूर्व से लगातार वादी के पिता के काश्त के आधार पर म्यूटेशन संख्या-19 जो दिनांक 16/06/1962 को पारित हुआ, के तहत् वादी के पिता को वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, तब से वादी उक्त खेत पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है उसका खातेदार काश्तकार है व गिरदावरी के आधार पर भरे गये म्यूटेशन में श्रीराम की वल्दीयत श्रीराम वल्द खीवा का जो इन्द्राज है वो खीवा का इन्द्राज गलत है जिसे दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी है। वादी उक्त वादग्रस्त भूमि का एक मात्र रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है इसमें प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त न था न है। ऐसी घोषणा प्राप्त करने का एवं वादी काबिज खातेदार काश्तकार है इस रूप में वादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खतौनी मे दर्ज करवाने का वादी अधिकारी है व ऐसी घोषणा प्राप्त करने का वादी अधिकारी है इसलिए दावा घोषणा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। म्यूटेशन संख्या 19 में गलत रूप से वादी के पिता की वल्दीयत खीवा गलत लिखी है उसे दुरूस्ती कर मियाल दर्ज की जावे, इस म्यूटेशन के आधार पर संवत् 2012 से आज दिन तक वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में वादी के पिता श्रीराम उर्फ शिवराम के स्थान पर खीया का गलत इन्द्राज दर्ज हुआ है उसे हटाया जाकर श्रीराम उर्फ शिवराम वल्द मियाल जरिये दुरूस्ती दर्ज करवाने का वादी अधिकारी है इसलिए दावा घोषणा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादी व उसके पिता बेरा छापरिया सरहद मौजा आ.कालु पर पिता प्रपिता के समय से बतौर काश्तकार के निवास करते आ रहे है व वादी के बेरा छापरिया का बापी पट्टा संवत् 1998 दिनांक 28/02/1941 को ग्राम आ.कालु परगना जैतारण रियासत जोधपुर का असिस्टेंट कमिश्नर लैण्ड रिकॉर्ड मेइता द्वारा जारी जोधपुर गवर्मेंट का बापी पट्टा जारी किया गया, जिसमें वादी के पिता श्रीराम बेटा मियाल रो जात रो माली निम्बावत वासी गांव रो दर्ज है जो सरकारी रेकर्ड का पट्टा है व पब्लिक रेकर्ड है। उक्त बापी पट्टा दावे के साथ पेश है। इसी प्रकार वादी के पिता द्वारा तत्कालीन

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जोधपुर गवर्मेन्ट को लगान अदा करने की रसीद दिनांक 12/07/1943 जो आ.कालु में बेरा छापरियां का लगान अदा किया में बापीदार सिराम वल्द मयाल जाति माली निवासी आ.कालु स्पष्ट रूप से दर्ज है। उक्त दस्तावेज दावे के साथ पेश है जिसे दावे का एक भाग माना जावे। इसी प्रकार महकमा हवाला जोधपुर गवर्मेन्ट को आ.कालु ग्राम में बापी की जमीन का लगान की रसीद दिनांक 27/07/1947 दावे के साथ पेश है व सिराम बेटा मयाल रो जात रो माली दर्ज जो संवत् 2003 की रसीद है इसी प्रकार संवत् 2003 दिनांक 27/07/1947 महकमा हवाला जोधपुर गवर्मेन्ट रसीद अदायगी लगान में सीराम बेटो मयाल रो माली दर्ज है जो दावे के साथ पेश है जिसे दावे का एक भाग माना जावे। इसी प्रकार तत्त्कालीन जोधपुर रियासत के महाराजा श्री उम्मेदसिंह का देहान्त होने के पश्चात् महाराजा हरवन्तसिंह जोधपुर रियासत के शासक हुए उन्होने अपने सगे छोटे भाई महाराजा हिम्मतसिंह बतौर जागीरदार ग्राम आ.कालु जागीर में दिया, जिसका महाराजा हिम्मतसिंह बतौर जागीरदार ग्राम आ.कालु के वादी के पिता की बेरा छापरिया के बापी की जमीन का लगान दिनांक 13/07/1948 यानि विक्रम संवत् 2004 में प्राप्त किया जिसमें वादी के पिता सीवराम वल्द मयाल माली गांव रो दर्ज है उक्त रसीद दिनांक 13/07/1948 को दावे के साथ पेश है जिसे दावे का एक भाग माना जावे। इसी प्रकार जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने पर महाराजा हीमतसिंह की जागीर राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लेने पर व आजादी के बाद राजस्थान राज्य का निर्माण होने पर राजस्थान सरकार के सेटलमेंट विभाग द्वारा दिनांक 15/12/1954 को वादी के पिता के नाम का पर्चा लगान जारी किया गया, जो संवत् 2011 से 2030 का जारी किया गया में वादी के पिता का नाम सिवराम वल्द मयाल माली साकिन देय खातेदार के रूप में स्पष्ट रूप से अंकन है व पर्चा लगान दावे के साथ पेश है जिसे दावे का एक भाग माना जावे। संवत् 2012 में उक्त बेरा छापरियां के लगान की रसीद दिनांक 06/09/1956 को पटवारी हल्का आ.कालु द्वारा जारी की गई जिसमें आ.कालु चक दो के बेरा छापरिया की लगान रसीद में वादी बींजा वल्द शिवराम माली, शिवराम वल्द मयाल माली दर्ज है यह रसीद संवत् 2012 की है जो दावे के साथ पेश है इसी प्रकार पटवारी हल्का कालु द्वारा जारी बिगोडी रसीद संवत् 2012 दिनांक 21/05/1959 में भी बींजा वल्द शिवराम दर्ज है जो वाद के साथ पेश है। वर्ष 1941 से 1959 के सरकारी रेकर्ड के जो दस्तोवज वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये वादग्रस्त भूमि की गिरदावरियां की प्रमाणित प्रति दावे के साथ पेश की है जिससे श्रीराम व शिवराम वल्द मयाल माली, बींजा वल्द शिवराम व श्रीराम माली स्पष्ट रूप से दर्ज है वादी बींजा उसके पिता श्रीराम उर्फ सिवराम से कोई संबंध है केवल खीवा शब्द म्यूटेशन में पटवारी हल्का द्वारा केरीकल एरल के आधार पर इन्द्राज किया गया जो रोंग एन्ट्री है इससे प्रतिवादीगण संख्या एक से लगायत पांच के पिता खीया वल्द काना जाति माली निवासी बेरा मोतीवालाना सरहद मौजा कावलियां कला से कोई संबंध नहीं है व प्रतिवादीगण संख्या एक से लगातयत पांच का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है न ही कभी कब्जा काश्त रहा है। केवल श्रीराम वल्द खीया के गलत इन्द्राज के आधार पर लोगों के सिखाने व बहकाने से वादग्रस्त भूमि कीमती हो जाने से व जमीन हडपने की नियत से प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच के 45 वर्ष पूर्व फौत हुए भाई भंवरू वल्द खीया को श्रीराम उर्फ भंवरू वल्द खीया माली होना बताकर गलत रूप से उक्त भूमि से वादी को बेदखल करने व गलत रूप से राजस्व रेकर्ड में अपने को उतराधिकारी बनाने की नियत से ग्राम पंचायत आ.कालु से फर्जी भंवरू का श्रीराम वल्द खीया मालीर के नाम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक, हिस्सा अधिकार व कब्जा काश्त न कभी था न है। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच का कोई संबंध नहीं है ऐसी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

घोषणा प्राप्त करने का वादी अधिकारी है इसलिए दावा घोषणा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या आठ बाबुलाल पुत्र नामालूम जाति माली निवासी मालियों की ढाणी ग्राम–खेजडला, तहसील–बलाड़ा, जिला–जोधपुर ने अन्य व्यक्तियों से मिलकर व वादी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 525 रकबा 4–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि को हडपने की नियत से प्रतिवादीगण संख्या आठ बाबुलाल माली निवासी खेजडला ने स्वयं को गलत व फर्जी रूप से श्रीराम वल्द खीया जाति माली आयु 60 वर्ष निवासी मालियों की ढाणी कावलियां खुर्द तहसील जैतारण का रहवासी व निवासी होना बताकर व स्वयं को खसरा नम्बर 525 रकबा 4–13 बीघा भूमि का रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार होना बताकर दिनांक 14/05/2012 को बएवजाने रूपये 125000/– में उक्त वादग्रस्त भूमि जरिये लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 14/05/2012 कूटरचित व फर्जी दस्तावेज तैयार कर श्री बाबुलाल प्रतिवादीगण संख्या आठ स्वयं का फोटू लगारि प्रतिवादीगण संख्या छह अब्दुल हमीद के नाम का वादग्रस्त भूमि का फर्जी बैचाननामा तैयार करवाकर उपपंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां पंजीयन करवाया, उक्त फर्जी बैचान दिनांक 14/05/2012 की प्रमाणित प्रति दावे के साथ पेश है जिसे दावे का एक भाग माना जावे। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या छह अब्दुल हमीद ने बतौर खरीददार के उक्त वादग्रस्त भूमि स्वयं को काबिज खातेदार काश्तकार होना बताकर दिनांक 18/06/2012 को प्रतिवादीगण संख्या सात रतनदान को बएवजाने रूपयें 125000/– में लिखित बैचाननामा तहरीर तकमील करवाकर उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां पंजीयन करवाया, जिसकी प्रमाणित प्रति दावे के साथ पेश है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या आठ द्वारा प्रतिवादीगण संख्या छह के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 14/05/2012 अवैध गैरकानूनी व नल एण्ड वॉईड है इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या छह द्वारा प्रतिवादीगण संख्या सात के पक्ष में करवाया गया लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 18/06/2012 भी अवैध गैर कानूनी एवं नल एण्ड वॉईड होने से प्रभाव शून्य है। प्रतिवादीगण संख्या 6,7 व 8 का वादग्रस्त भूमि में कोई संबंध नहीं है इसलिए उक्त दोनों बैचान को अवैध गैरकानूनी व नल एण्ड वॉईड घोषित किया जावे, ऐसी घोषणा प्राप्त करने का वादी अधिकारी है इसलिए दावा घोषणा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या आठ बाबुलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि के अलावा सरहद मौजा घोडावड तहसील जैतारण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 372 रकबा 15–02 बीघा किस्म बा.प्रथम की कृषि भूमि कमलचंद मोहनलाल पिसरान छोटुराम जाति–ब्राह्म्ण निवासी रामदेव मंदिर के पास पुष्कर जिला अजमेर राज. की भूमि में बाबुलाल स्वयं की फोटु लगाकर दिनांक 18/06/2012 को एक फर्जी बैचाननामा तकमील किया, इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या आठ वादग्रस्त भूमि में श्रीराम वल्द खीया माली निवासी कावलियां खुर्द बनकर फर्जी दस्तावेज तकमील करवाकर पंजीयन करवाया व घोडावड ग्राम में स्थित भूमि मोहनराम पुत्र छोटुलाल ब्राह्म्ण बनकर रजिस्ट्री की दोनों बैचानकर्ताओं की एक ही फोटूओं है व घोडावड का बैचान दिनांक 18/06/2012 की प्रमाणित प्रति दावे के साथ पेश है व घोडावड की जमीन का फर्जी बैचान का निरस्ती का दावा ओमप्रकाश द्वारा ए.डी.जे. कोर्ट जैतारण में किया, जिसकी प्रमाणित प्रतियां दावे के साथ पेश है जिसे दावे का एक भाग माना जावें। इस प्रकार स्पष्ट रूप से प्रतिवादीगण संख्या आठ द्वारा प्रतिवादीगण संख्या छह के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का फर्जी बैचान दिनांक 14/05/2012 कूटरचित व फर्जी है। जबकि वादी के पिता श्रीराम उर्फ शिवराम की मृत्यु संवत् 2014 यानि 55 वर्ष पूर्व हो चुकी है मृतक व्यक्ति के स्थान पर फर्जी रूप से दस्तोवज तकमील कर पंजीयन करवाया, जो गैर कानूनी व प्रभाव शून्य है इसी दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या छह द्वारा प्रतिवादीगण संख्या सात के पक्ष में दिनांक 18/06/2012 को किया गया बैचान की प्रमाणित प्रति दावे के साथ पेश है जिसे रद्द घोषित करवाने का वादी अधिकारी है इसलिए दावा घोषणा मन्सूखी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बैचान खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच अवैध गैर कानूनी रूप से बिना किसी आधार व अधिकार के वादी के पिता श्रीराम उर्फ शिवराम पिता मियाल के स्थान पर खीया के रूप में की गई रोंग एन्ट्री के आधार पर भंवरू वल्द खीया को भंवरू उर्फ श्रीराम फर्जी होना बताकर वादग्रस्त भूमि हडपने व रेकर्ड में अपने नाम दर्ज करवाने पर आमादा है। प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 29/07/2012 को वादी को एलानिया धमकी दी की, वो वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल करेंगे व वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करेंगे। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी प्रतिवादीगण को ऐसा हरगीज नहीं करने देगा, जिससे मौके पर टण्टा फसाद होगा, ऐसा होने पर वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व बार बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पडेगें, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिग्स होगी व विविध मुकदमेंबाजी होगी, वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए दावा स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। म्यूटेशन संख्या 19 दिनांक 16/06/1962 में वादी के पिता श्रीराम उर्फ वल्द मियाल के स्थान पर वल्दीयत में खीवा दर्ज हुआ है जो एक रोंग एन्ट्री है जिसे हटाया जाकर श्रीराम वल्द मियाल दर्ज किया जावे। इसके पश्चात् के संवत् रेकर्ड में श्रीराम वल्द खीया के स्थान पर श्रीराम वल्द मियाल जाति माली निवासी बेरा छापरिया सरहद मौजा आ.कालु जरिये रेकर्ड दुरूस्ती के दर्ज किया जावे, ऐसी रेकर्ड दुरूस्ती का वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 29/07/2012 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की एलानियां धमकी देने पर व राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां दिनांक 11/06/2012 प्राप्त करने व लिखित पंजीबद्व बैचान दिनांक 14/05/2012 एवं 18/06/2012 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने व मालूम पडने पर बिनाय दावा बमुकाम कावलियां खुर्द व जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के है। उक्त वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच की और से वकालतनामा एवं जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम एवं वादीगण की से जवाब काउन्टर क्लेम पेश हुआ। पत्रावली वर्तमान में तनकीयात कायम करने के स्तर पर विचाराधीन हैं। वादी फौत होने पर वादी के का.मु. को रेकर्ड पर लिया गया। संशोधित शिर्षक पेश हुआ। वकील मय वादी सं. 1/1 व 1/2 एवं 1/3 से 1/8 जरिये अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 मय अधिवक्ता ने एक तहरीरी राजी नामा पेश किया। राजीनामा में जाहिर किया कि सरहद मौजा कावलियाखुर्द में वाके कृषि भूमि खसरा नम्बर 525 रकबा 4-13 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि मृतक बींजाराम व उनके कायम मुकाम की वक्त सेटलमेंट के पूर्व से यानि 01.10.1955 के पूर्व से बतौर खातेदार काश्तकार के चली आ रही है। वादी इसके एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण को इस भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसमें प्रतिवादी सं. 01 से 05 को कोई उज्र ऐतराज नही हैं। मृतक वादी बींजाराम पिता श्रीराम को शिवराम व श्रीराम दोनो नामो से सम्बोधित किया जाता रहा है व वादी के पिता के समय से वादी व उसके उत्तराधिकारी काबिज खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 01 से 05 व अन्य किसी को हक हिस्सा अधिकार व कब्जाकाश्त न तो रहा हैं व न है न रहेगा। यह वादीगण की ही एक मात्र खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हैं इसे जरिये रेकर्ड दुरूस्ती के वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नाम जरिये म्यूटेशन राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें। उसमें प्रतिवादी सं. 01 से 05 को को उर्ज ऐतराज नही है।हम वादीगण व प्रतिवादी सं. 01 से 05 ने जाति समाज के लोंगो के समजाने से आपस में राजीबाजी हो गये हैं। व वादग्रस्त जमीन वादीगण की रहेगी। व खर्चो मुकदमों दोनो पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। इस वाद में प्रतिवादी सं. 01 से 05 की और से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम जरिये विड्रोल खारिज किया जावें। राजीनामा पृथक तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादी सं. 07 की और से वकालतनामा एवं प्रा. पत्र आदेश 09 नियम 07 सीपीसी का पेश किया, बाद स्वीकार कर सा.मि.किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 07 ने एक तहरीरी राजीनामा पेश किया कि सरहद मौजा कांवलियाखुर्द में स्थित ख.नं. 525 रकबा 04-13 बीघा किस्मा बारानी अव्वल पर वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं। कृषि भूमि में रेकर्ड के गलत इन्द्राज पर मेरे पक्ष में दिनांक 18.6.12 को किया गया लिखित बैचान शून्य दस्तावेज हैं। इस लिखित पंतिबद्ध बैचान से मुझ प्रतिवादी सं. 07 को वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते हैं तथा वादी वादग्रस्त आराजी के एक मात्र खातेदार काश्तकार हैं। जरिये राजीनामा वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। इसमें प्रतिवादी सं. 07 रतनदान को कोई आपत्ति ऐतराज नही हैं। भविष्य में भी वादग्रस्त आराजी के बावत् मेरा कोई हक अधिकार नही रहेगा। बाद राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या आठ बाबुलाल पुत्र नामालून जाति माली निवासी मालियों की ढाणी ग्राम-खेजडला, तहसील-बलाड़ा, जिला-जोधपुर ने अन्य व्यक्तियों से मिलकर व वादी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 525 रकबा 4-13 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि को हडपने की नियत से प्रतिवादीगण संख्या आठ बाबुलाल माली निवासी खेजडला ने स्वयं को गलत व फर्जी रूप से श्रीराम वल्द खीया जाति माली आयु 60 वर्ष निवासी मालियों की ढाणी कावलियां खुर्द तहसील जैतारण का रहवासी व निवासी होना बताकर व स्वयं को खसरा नम्बर 525 रकबा 4-13 बीघा भूमि का रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार होना बताकर दिनांक 14/05/2012 को बएवजाने रूपये 125000/- में उक्त वादग्रस्त भूमि जरिये लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 14/05/2012 कूटरचित व फर्जी दस्तावेज तैयार कर श्री बाबुलाल प्रतिवादीगण संख्या आठ स्वयं का फोटू लगाकर प्रतिवादीगण संख्या छह अब्दुल हमीद के नाम का वादग्रस्त भूमि का फर्जी बैचाननामा तैयार करवाकर उपपंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां पंजीयन करवाया, तत्पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या छह अब्दुल हमीद ने बतौर खरीददार के उक्त वादग्रस्त भूमि स्वयं को काबिज खातेदार काश्तकार होना बताकर दिनांक 18/06/2012 को प्रतिवादीगण संख्या सात रतनदान को बएवजाने रूपयें 125000/- में लिखित बैचाननामा तहरीर तकमील करवाकर उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां पंजीयन करवाया। प्रतिवादी संख्या 07 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर उक्त आराजी में अपना हक अधिकार नही होना जाहिर किया गया। प्रतिवादी संख्या 07 एवं वादीगण का राजीनामा तस्दीक किया गया हैं। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 06 से 08 का इस विवादित आराजी में कोई हित अधिकार होना प्रतित नही होता हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 तथा 7 राजीनामा द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया। बहस दौरान वकुलाय ने जाहिर किया कि माफिक राजीनामा वादीगण को उक्त आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश फरमावें। लिहाजा प्रतिवादी सं. 01 से 05 की और से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है तथा माफिक राजीनामा वादीगण का वाद डिकी किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–::आदेश::–

अतः माफिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–कावलियां खुर्द में वाके कृषि भूमि खसरा नम्बर 525 रकबा 4–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। वर्तमान में दर्ज नाम श्रीराम पुत्र खीयां का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा.मि. किया गया। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 28/05/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner